भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4666
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेनेरिक दवाओं की बिक्री

4666. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागरिकों को किफायती स्वास्थ्य सेवा विकल्प उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) इन कदमों का स्वास्थ्य सेवा की वहनीयता पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) एनपीपीए द्वारा विशेषकर पुरानी बीमारियों के लिए दवा की कीमतों के विनियमन से महत्वपूर्ण दवाओं की लागत में कितनी कमी आई है?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो नियमित रूप से निम्नलिखित उपायों सहित कई कार्यकलाप संचालित करता है:

(i) विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, मोबाइल एप्लीकेशन, सिनेमा, होर्डिंग्स, बस क्यू शेल्टरों और बसों की ब्रांडिंग, ऑटो रैपिंग और कॉमन सर्विस सेंटरों पर टीवी स्क्रीन से विज्ञापन जारी करना;
(ii) सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से आउटरीच कार्यकलाप; तथा
(iii) प्रति वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाना।

(ख): प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना योजना के तहत, 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से अधिकतम खुदरा मूल्यों (एमआरपी) पर गुणवत्तापूर्ण

जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो बाजार में अग्रणी ब्रांडेड दवाओं के एमआरपी की तुलना में लगभग 50% से 80% सस्ती हैं। औसतन, 10 से 12 लाख लोग प्रतिदिन जन औषधि केंद्रों पर जाते हैं और किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएँ प्राप्त करते हैं। पिछले 10 वर्षों में, एमआरपी के संदर्भ में 6,975 करोड़ रुपए के मूल्य की दवाओं की बिक्री जेएके के माध्यम से की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप ब्रांडेड दवाओं की मूल्यों की तुलना में नागरिकों को लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।

(ग): इस समय, देश में औषधियों के मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति, 2012 (एनपीपीपी, 2012) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार विनियमित किए जाते हैं, जिसे औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) के माध्यम से संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषध विभाग द्वारा डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I के रूप में यथा अधिसूचित अनुसूचित दवाओं के अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) को डीपीसीओ की अनुसूची-I के रूप में शामिल किया गया है। वर्तमान में, एनएलईएम, 2022 को दिनांक 11.11.2022 की अधिसूचना के द्वारा से डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I के रूप में अधिसूचित किया गया है।

एनपीपीए अनुसूचित दवाओं, अर्थात उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दवाओं के अधिकतम मूल्य नियत करता है। एनपीपीए द्वारा निर्धारित मूल्य विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशनों, चाहे वे जेनेरिक हों या ब्रांडेड, की बिक्री करने वाले सभी विनिर्माताओं/विक्रेताओं पर लागू होते हैं। अनुसूचित दवाओं (ब्रांडेड या जेनेरिक) के विनिर्माताओं विक्रताओं के लिए अपने उत्पादों को एनपीपीए द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य और लागू जीएसटी और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर वार्षिक संशोधन के भीतर बिक्री करना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची एनएलईएम), 2022) के अंतर्गत मूल्यों के पुनर्निर्धारण के कारण औसत मूल्य में लगभग 17% की कमी आई है, जिससे रोगियों को लगभग 3,788 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई है।

एनपीपीए अनुसूचित फॉर्मूलेशन के मौजूदा विनिर्माताओं के लिए डीपीसीओ, 2013 में परिभाषित नई औषधियों के खुदरा मूल्य भी निर्धारित करता है। डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत दिनांक 13.2.2025 तक 3,100 से अधिक नई औषधियों के खुदरा मूल्य निर्धारित किए गए हैं।

गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन (ब्रांडेड या जेनेरिक) के लिए, विनिर्माता ऐसे फॉर्मूलेशन के अधिकतम खुदरा मूल्य में प्रति वर्ष 10% से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीपीए ने जनहित में कई औषधियों के मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए हैं:

(i) वर्ष 2014 में, एनपीपीए ने 106 गैर-अनुसूचित मधुमेह-रोधी और हृदयवाहिका संबंधी उपचार औषधियों के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित किया, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 350 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हुई।

(ii) 42 चुनिंदा कैंसर-रोधी दवाओं के गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन के व्यापार मार्जिन को व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत सीमित कर दिया गया था, जिसमें लगभग 500 ब्रांडों की दवाओं का मूल्य औसतन लगभग 50% कम हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 984 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक बचत हुई।

(iii) फरवरी, 2017 में, कोरोनरी स्टेंट का अधिकतम मूल्य नियत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 11,600 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक बचत हुई।

(iv) अगस्त, 2017 में, आर्थोपेडिक घुटने के प्रत्यारोपण का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रोगियों को लगभग 1,500 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक बचत हुई।

(iv) जून/जुलाई, 2021 में, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर के व्यापार मार्जिन पर भी अधिकतम सीमा लगा दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को लगभग 1,000 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होने का अनुमान है।

*****